*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–21/2015 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **नगर परिषद्, बक्सर क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत योजना हेतु देनदारी की राशि ₹42.01100 लाख (बयालीस लाख एक हजार एक सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर परिषद्, बक्सर क्षेत्रान्तर्गत टाउन हॉल सौंदर्यीकरण से संबंधित निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना को स्तम्भ– 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 7 में अंकित राशि आवंटित किया गया था।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर के पत्रांक– 2651, दिनांक– 27.11.2019 द्वारा उक्त आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि योजना के कार्यान्वयन हेतु अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक– 605, दिनांक– 01.06.2018 द्वारा सौंदर्यीकरण कार्य हेतु कुल ₹68.34 लाख तथा Non Scheduled Item हेतु ₹37.296 लाख मात्र पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है, इसप्रकार योजना पर कुल व्यय ₹105.636 लाख होना है, जिसके लिए पूर्व से आंवटित ₹63.625 लाख के अलावे शेष राशि की माँग कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर द्वारा की गई है।

3. उक्त वर्णित स्थिति एवं किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 8 के अनुरूप कुल अधियाचित/एकरारनामा के अनुरूप देनदारी की राशि ₹42.01100 लाख (बयालीस लाख एक हजार एक सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	अधियाचना/ एकरारनामा के अनुसार व्यय की जाने वाली कुल राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अधियाचना के अनुरूप स्वीकृत कुल अवशेष राशि (6–7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	नगर परिषद्, बक्सर	टाउन हॉल सौन्दर्यीकरण कार्य।	27/ 12.08.2015	127.25000	105.63600	63.62500	42.01100

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹42.01100 लाख (बयालीस लाख एक हजार एक सौ रु०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹42.01100 लाख (बयालीस लाख एक हजार एक सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1670, दिनांक– 03.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, बक्सर के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल राशि ₹42.01100 लाख (बयालीस लाख एक हजार एक सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०सु०–03–21/2015 के पृष्ठ सं०–.....15...../टि० पर दिनांक–...16/05/2020... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–.....16...../टि० पर दिनांक–...18/05/2020... को प्राप्त है ।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–21/2015 257 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–19/03/2020

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।